राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री निखिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
67/2022	दावा 88, 136 RTA	16.05.2022	23.12.2022

राजीराम पुत्र श्री डूंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू (राज)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88,136 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88,136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी की संयुक्त काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 तादारी 8.1443 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अ.नि. क्षेत्र पीथीसर तहसील व जिला चूरू (राज) में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 99 है तथा पुराने खाता संख्या 95 है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है व कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 तादादी 9.3583 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अभि.नि. क्षेत्र पीथीसर तहसील व जिला चूरू(राज) में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 100 है तथा पुराने खाता संख्या 96 है, जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा है।

वादी का नाम राजीराम पुत्र डूंगरराम की जगह केवल राजूराम पुत्र डूंगरराम त्रुटिवश राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम राजीराम है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार की वजह से वादी को राजूराम पुकारा जाता था। इवस कारण त्रुटिवश नाम राजूराम अंकित हो गया।

राजस्व रिकॉर्ड में वादी राजूराम का वास्तविक नाम राजीराम है और एक ही व्यक्ति के नाम है, जिसका नाम अशुद्ध हो गया है, जिसे संशोधित करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजस्व रिकॉर्ड में नाम में त्रुटी होने से वादी को काफी हैरानी और परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड व राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, में नाम राजीराम, उसका सही नाम राजीराम है। नाम में त्रुटी होने की वजह से वादी को सरकारी व गैरसरकारी योजनाएं लेने में काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है। वादी ने नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने तहसलीदार से नाम शुद्ध करवाने बाबत कहा, वादी ने तहसीलदार महोदय, चूरू से निवेदन किया पर तहसीलदार महोदय ने उक्त दावा में नाम संशोधन बाबत अदालतवाला

में करने का कहने पर दिनांक 10.05.2022 को वाद आधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा अदालतवाला में सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

नाम संशोधन में किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है एवं न्यायहित में इस दुरूस्त किया जा सकता है, वादी ने दिनांक 10.05.2022 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना पत्र नाम में संशोधन करने बाबत दिया तो उन्होने नाम संशोधन नहीं करने व श्रीमानजी के यहां दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादी उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से उन्हें वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हे।

वादगत भूमि रोही खण्डवा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसके सम्बंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। जो उचित न्यायाशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी का दावा मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद निचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावें:–

(क) कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 तादादी 8.1443 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झाारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अभि.नि. क्षेत्र पीथीसर तहसील व जिला चूरू(राज) व कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 तादादी 9.3583 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अभि.नि.क्षेत्र पीथीसर तहसील व जिला चूरू (राज) में खातेदार राजूराम पुत्र डूंगर राम की जगह राजीराम पुत्र डूंगरराम संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरामयी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे के डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड फरमाया जावे।

(ख) अन्य अनुतोष हितकर वादी हो या हो जावे, वो भी वादी को प्रदान फरमाया जावें।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई । जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये । तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई । तहसलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब न दिये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता वादी को साक्ष्य हेतु कहा जिस पर अधिवक्ता वादी ने पत्रावली पर पेश दस्तावेजात को ही साक्ष्य माना जाकर बहस सुनने हेतु निवेदन किया जिस पर बहस सुनी गई।

वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया वादी का वास्तविक नाम राजीराम है जो सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में राजूराम अंकित हो गया। वादी के अन्य दस्तावेजों में राजी राम अंकित है। वादी को राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम में भिन्नता के कारण सरकारी सुविधाएं लेने में परेशानी आ रही है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमायें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2070–2073) कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 तादादी 8.1443 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झाारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अभि.नि. क्षेत्र पीथीसर तहसील व जिला चूरू(राज) व कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 तादादी 9.3583 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू. अभि.नि.क्षेत्र पीथीसर तहसील व जिला चूरू (राज) में खातेदार राजूराम पुत्र डूंगरराम दर्ज है। वादी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, आदि

में वादी का नाम राजीराम है। रिपोर्ट पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू व रिपोर्ट तहसीलदार चूरू में अंकित किया है कि उक्त राजूराम एवं राजीराम एक ही व्यक्ति के नाम है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत भूमि खसरा नम्बर 130 तादादी 8.1443 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अभि.नि. क्षेत्र पीथीसर तहसील व जिला चूरू(राज) व कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 तादादी 9.3583 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अभि.नि.क्षेत्र पीथीसर, चूरू (राज) की जमाबंदी में वादी का नाम सहवन से राजूराम के स्थान पर राजी राम अंकित हो गया है जो अभि तक गलत अंकित चला आ रहा है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड तथा भामशाह कार्ड आदि की प्रतियां पेश की है वादी के दस्तावेजात में वादी का नाम राजीराम अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार में राजूराम व राजीराम दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति होना बताया है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नामों को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों से वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित होता है। इस प्रकार दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 88,136 आर.टी.ए. प्रस्तुत दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट खण्डवा पट्टा चूरू व रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर के अधार पर पर स्वीकार किया जाकर कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 तादादी 8.1443 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अभि.नि. क्षेत्र पीथीसर तहसील व जिला चूरू(राज) व कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 तादादी 9.3583 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अभि.नि.क्षेत्र पीथीसर, चूरू (राज) की जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम राजूराम के स्थान पर राजीराम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। वादी ने नाम दुरूस्ती में किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाया है तो इसके वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि उक्त वादगत भूमि किसी बैंक के रहन है तो यथावत रहन रहेगी । यदि उक्त वादगत भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निखिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

इजलास : श्री निखिल कुमार आर0ए0एस0

राजीराम पुत्र श्री डूंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू (राज)

—वादी—

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादी—

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,136 आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 67 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र राहड़ वादी, मिनजानिब मुदईब एवं पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:

वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 तादादी 8.1443 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अभि.नि. क्षेत्र पीथीसर तहसील व जिला चूरू(राज) व कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 तादादी 9.3583 हैक्टेयर, वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू, भू.अभि.नि.क्षेत्र पीथीसर, चूरू (राज) की जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम राजूराम के स्थान पर राजीराम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। वादी ने नाम दुरूस्ती में किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाया है तो इसके वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि उक्त वादगत भूमि किसी बैंक के रहन है तो यथावत रहन रहेगी । यदि उक्त वादगत भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23 माह दिसम्बर सन् 2022 को जारी की गई।

(निखिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू